It is a fact that Government of Odisha has requested the Union Government for induction of two additional battalions of Central Armed Police Forces in the LWE-affected area of the State. So, necessary action may be taken by the Government of India.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I would like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Before I move on to the Question Hour, I have to ask Shri Punia, Dr. Kirodi Lal Meena and Shri Ram Shakal to lay their Special Mentions on the Table and it would be taken on record. Shri Punia, say that you are laying it on the Table.

Demand for re-opening/setting up of additional one stop centres to tackle atrocities on women*

श्री पी. एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): महोदय, एनसीआरबी ने वर्ष 2018 के आँकड़े प्रकाशित किए हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि महिलाओं पर अत्याचार अपनी चरम सीमा पर है। इस वर्ष हर चौथी दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग रही, जबकि आधी से ज्यादा पीड़िताओं की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच रही। दुष्कर्म के कुल 33,356 मामलों में से 33,956 पीड़िताएँ थी, जिनमें 72.2 प्रतिशत 18 साल से ज्यादा की थी, जबकि 27.8 प्रतिशत 18 साल से कम की थी। 12 साल तक की 1,038 बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म किया गया है।

महोदय, वर्ष 2018 में महिलाओं से दुष्कर्म के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए, जहाँ 5,433 मामले दर्ज हुए। वही, राजस्थान में 4,335 और उत्तर प्रदेश में 3,946 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं।

हिंसा प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए 728 वन-स्टॉप सेन्टर्स में से केवल 595 ही काम कर रहे हैं और 133 केन्द्र बन्द पड़े हुए हैं। वर्ष 2018 के दौरान 2.27 लाख महिलाओं ने इन केन्द्रों की मदद भी ली, जिनमें से ज्यादातर महिलाएँ दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से पीड़ित थी। वन-स्टॉप सेन्टर्स से उन्हें कानून एवं मनोवैज्ञानिक मदद दी गई, लेकिन बड़ी संख्या में वन-स्टॉप सेन्टर्स बन्द होने के कारण लाखों महिलाएँ सहायता प्राप्त नहीं कर सकीं।

अतः आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि बन्द पड़े वन-स्टॉप सेन्टर्स को पुनः शुरू किया जाए तथा इस प्रकार की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उनकी संख्या में बढ़ोत्तरी की जाए, जिससे महिलाओं को दुष्कर्म, घरेलू हिंसा और अन्य अपराधों में कानूनी, मेडिकल, काउंसेलिंग और आश्रय जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

---

*Laid on the Table.